

राजस्थान सरकार
कृषि आयुक्तालय, पंत कृषि भवन, जयपुर

क्रमांक : प.3(18)लेखा/बजट/प्रतिबद्ध/आधिक्य बचत/2017-18/

दिनांक :

समस्त आहरण वितरण अधिकारी,
कृषि विभाग,
.....।

विषय : राज्य निधि (प्रतिबद्ध) के बजट मदों में आधिक्य/बचत की सूचना भिजवाने बाबत।

राज्य सरकार को अनुपूरक मांगों (द्वितीय संकलन) की सूचना प्रेषित की जानी है। अतः वर्ष 2017-18 में राज्य निधि (प्रतिबद्ध) मद के अन्तर्गत माह दिसम्बर, 2017 तक का वास्तविक व्यय व शेष अवधि 01.01.2018 से 31.03.2018 में होने वाले संभावित व्यय के अनुसार आधिक्य व्यय/बचत की सूचना बजट मदवार/लेखा शीर्षवार (जिन बजट मदों में आपको बजट आवंटन किया गया है) पूर्ण टिप्पणी के साथ 05 दिवस में सम्बन्धित खण्डीय संयुक्त निदेशक, कृषि कार्यालय को भिजवाना सुनिश्चित करें।

कार्यालय का नाम डी.डी.ओ. कोड़
IFMS Code प्रपत्र तैयार करने वाले कार्मिक का नाम व पद
Mob. No.

प्रत्येक बजट मद का अलग-अलग प्रस्तुत करें।

बजट शीर्ष	ऑब्जेक्ट हेड	कुल बजट आवंटन	31 दिसम्बर, 2017 तक वास्तविक व्यय	1 जनवरी, 2018 से 31 मार्च, 2018 तक संभावित व्यय	कुल संभावित व्यय	आधिक्य व्यय/ बचत	विशेष विवरण
	01-संवैतन व्यय						
	03-यात्रा व्यय						
	04-चिकित्सा व्यय						
	05-कार्यालय व्यय						
	07-कार्यालय वाहनों का संचालन एवं संधारण						
	09-किराया रेट और कर/रॉयल्टियाँ						
	मद संख्या : 08, 11, 18, 19, 20, 21, 22, 28, 29, 32, 37, 41, 62, 72						

बजट की मांग करते समय निम्न बिन्दुओं का ध्यान रखा जाना सुनिश्चित करावे :-

- जिन कार्यालयों को यात्रा व्यय एवं चिकित्सा व्यय मद में माह दिसम्बर, 2017 तक बजट आवंटन किया गया है, उसका 15 फरवरी, 2018 तक आवश्यक रूप से उपयोग सुनिश्चित करावे।
- यात्रा भत्ता व चिकित्सा भत्ता के लम्बित बिलों की सूची वर्ष 2016-17 एवं इससे पूर्व 2015-16 की नाम एवं पदनाम बजट मद सहित बनाकर भिजवावे, ताकि गत वर्षों के लम्बित दायित्वों का निपटारा संभव हो सके।

४०

(ऋतु गुप्ता)
वित्तीय सलाहकार

क्रमांक : प.3(18)लेखा/बजट/प्रतिबद्ध/आधिक्य बचत/2017-18/7083-7243 दिनांक : 08.01.2018

प्रतिलिपि : निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- समस्त संयुक्त निदेशक, (कृषि), खण्डीय कार्यालयों को निर्देशित किया जाता है कि वे आपके अधीनस्थ समस्त कार्यालयों के आधिक्य-बचत पत्र प्राप्त कर/जांच कर अधोहस्ताक्षर कर्ता के कार्यालय में दिनांक 16.01.2018 तक आवश्यक रूप से प्रेषित कराने का कष्ट करें।
- एनालिस्ट कम प्रोग्रामर (ACP) को भेजकर लेख है कि उक्त पत्र को कृषि विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध करावे।

(ऋतु गुप्ता)
वित्तीय सलाहकार